तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
22.1.25	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे प्राप्त फर्द बटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया। डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगू को दि जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

वाद संख्या :–32/2021

माधुलाल पिता लालू जी जाति धाकड निवासी मालीखेडा तह0 बेगूँ
वादी

बनाम

1. उदा पिता देबीलाल धाकड निवासी मालीखेडा तह0 बेगूँ
2. सम्पत पिता भगवानलाल धाकड निवासी मालीखेडा तह0 बेगूँ
3. उकार पिता भगवानलाल धाकड निवासी मालीखेडा तह0 बेगूँ
4. मोतीलाल पिता लालू धाकड निवासी मालीखेडा तह0 बेगूँ
5. चुन्नीलाल पिता लालू धाकड निवासी मालीखेडा तह0 बेगूँ
6. श्रीमान शाखा प्रबंधक महादेय बैंक ऑफ बडोदा शाखा पारसोली
7. श्रीमान भूमिधारी जरिये तहसीलदार साहब बेगूँ
8. श्रीमान जरिये राज्य सरकार प्रतिनिधी जिला कलेक्टर महोदय जिला चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

उपस्थित ::– श्री राजसिंह चुण्डावत
अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 19.09.2024

निर्णय वादपत्र अन्तर्गत धारा 53–88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी का वादपत्र इस प्रकार से है कि मौजा मोतीपुरा पटवार हल्का मोतीपुरा में निम्न कृषि आराजीयात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 तक पैतृक स्वामित्व आधिपत्य की स्थित है जिसका विवरण निम्न है जिसका वादी तन्हा समय से उपयोग उपभोग कर रहा है:–

खतौनी संख्या	आराजी सख्या	रकबा हैक्टर
10	424	0.2400
	425	0.3700
	428	1.1600
	429	0.0200
	430	1.2300
	कुल किता–5	3.0200 हैक्टर

यह कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के परिवारिक का वंशवृक्ष का सजरा निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

लालू (फोत)

देवीलाल फोत	भगवानलाल फोत		मोतीलाल	चुन्नीलाल	माधुलाल वादी
		सम्पत	उंकार	नन्दु	सुशीला	प्यारीबाई
उदयलाल	घीसीबाई	भूरीबाई	कालीबाई	चांदूबाई	

यह कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पैतृक स्वामित्व एवं आधिपत्य की मोजा मोतीपुरा में कृषि आराजीयात है जिनमें वादी के पिता लालू की मृत्यु के पश्चात नामान्तरण किया गया था उसमें वादी के साथ साथ प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के नाम रेकार्ड में दर्ज किया गया था जिनका विवरण निम्न है:–

खतौनी संख्या	आराजी सख्या	रकबा हैक्टर
9	477/437	1.6200
	कुल किता–1	1.6200 हैक्टर

खतौनी संख्या	आराजी संख्या	रकबा हेक्टर
2	61	0.0600
	62	1.2140
	63	0.1780
	64	0.1130
	91	1.7200
	कुल किता–5	2.2900 हैक्टर

यह कि उक्त वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित कृषि आराजीयात वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 से 5 के पैतृक स्वामित्व आधिपत्य की भूमि है जिसमें राजस्व कर्मचारियों की भूल से वादी का नाम दर्ज नहीं किया गया है। जबकि उक्त भूमि वादी की पैतृक स्वामित्व की भूमि है , जिसमें वादी को छोडकर वादी के पिता लालूजी के सभी वारिसान का नाम दर्ज है जो राजस्व कर्मचारियों की भूल का परिणाम है।

यह कि वादपत्र की कलम सं0 1 में वर्णित कृषि आराजीयात वादी के पैतृक स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि है जिसमें वादी का नाम दर्ज किये जाने की घोषणा किये जाने हेतु यह वादपत्र प्रस्तुत है। वादकारण वादी द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु सभी पैतृक स्वामित्व की भूमियों में राजस्व रेकार्ड की नकल जमाबंदी दिनांक 07.02.2021 को प्राप्त की तो जानकारी में आया कि वादपत्र की कलम सं0 1 में वर्णित कृषि आराजीयात में वादी का नाम दर्ज नहीं होने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है।

यह कि वादपत्र की कलम सं0 1 में वर्णित कृषि आराजीयात पर वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 से 5 अपने निहित हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे है लेकिन राजस्व कर्मचारियों की गलती से वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं हो सका था इसलिए वादपत्र की कलम सं0 1 में वादी का नाम अंकित किये जाने की घोषणात्मक आज्ञप्ति हेतु वादी को यह वादपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है एवं बाद घोषणा हिस्सनुसार अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी का वादी एचवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन किये जाने हेतु भी यह वादी को यह वादपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है।

यह कि वादी वाद वर्णित कलम सं0 1 में वर्णित कृषि आराजीयात पर अपने निहित हक हिस्से पर काबिज हो काश्त कर रहा है लेकिन प्रतिवादी सं0 1 से 5 के मन में बदनियती आ जाने से एवं वाद वर्णित भूमि में वादी का नाम राजस्व कर्मचारियों की भूल से दर्ज नहीं होने का नाजायज लाभ प्राप्त करने की गरज से वादी को प्रतिवादी सं0 1 से 5 के निहित हक हिस्से से वच्छित करने पर आमादा है इसलिए प्रतिवादी सं0 1 से 5 वादी के निहित हक हिस्से में किसी प्रकार की दखलंदाजी उत्पन्न न करें न कराने हेतु उन्हें स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाना आवश्यक है । इसलिए यह वादपत्र प्रस्तुत है।

यह कि वादी के कब्जे एवं हिस्से की आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा बैंक ऑफ बडोदा के रहन रखी है जिसे भी रहन मुक्त किये जाने हेतु वादी का यह वादपत्र न्यायालय श्रीमान में पेश है। मौजा मोतीपुरा प0ह0 मोतीपुरा तह0 बेगूँ में स्थित है काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत स्थाई निषेधाज्ञा यह वाद होने से समायत न्यायालय श्रीमान आप के क्षैत्राधिकार व श्रृवणाधिकार को प्राप्त है।

वादी न्यायालय श्रीमान से निमन अनुतोष की प्रार्थना पत्र करता है कि:–

(क) कि वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा फरमायी जावे कि प्रतिवादी सं0 1 से 5 वाद वर्णित भूमि को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करें।

(ख) कि वादपत्र की चरण सं0 1 में वर्णित भूमि में वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने एवं वादी का हक हिस्से की घोषणात्मक आज्ञप्ति फरमायी जावें।

(ग) कि बाद घोषणा वादी के निहित हक हिस्से का विभाजन की डिक्री फरमायी जावें।

(घ) कि वाद व्यय वकील मेहनताना आदि वादी को विरूद्ध प्रतिवादीगण से प्रदान कराई जावें।

(ड) कि अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ हो वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

वादी का वादपत्र न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण मे प्रतिवादी संख्या 1 से 6 तक बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश न्यायालय द्वारा जारी किये गये। प्रकरण मे प्रतिवादी संख्या 7 व 8 पैरोकार राज सरकार की ओर से जबावदावा प्रस्तुत नहीं किये जाने से उनका जबावदावा न्यायालय द्वारा बन्द किये जाने के आदेश दिये गये।

पत्रावली में प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने पर वादपत्र में वादी साक्ष्य एक तरफा के लिए वादी माधूलाल पिता लालू , गवाह किशनलाल पिता बंशीलाल कुमावत के साक्ष्य हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये तथा वादी एवं गवाह से उनके बयान वपर मुख्यपरीक्षण करते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज को प्रदर्श कराया गया तथा वादी साक्ष्य कलमबद्ध कर पूर्ण की गई। पत्रावली में वादी की एक तरफा साक्ष्य पूर्ण होने के उपरान्त अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस वादपत्र पर ध्यानपूर्वक सुनी गई, अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस वादपत्र के अनुसार ही निवेदन करते हुए वादी एवं प्रतिवादीगण को भाई होना बताते हुए वादी का एक खाते में नाम रह गया था जो सहवन से रह गया है, वादी माधूलाल सबसे छोटा लडका है

नाम छुटे हुए खाते में घोषित फरमाया जावे तथा वर्णित आराजी का बंटवारा भी वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य करते हुए प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।

पत्रावली पर बहस एक तरफा अधिवक्ता वादी की सुने जाने के पश्चात हमारे द्वारा पत्रावली मे प्रस्तुत सभी दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रदर्श– 2नकल जमाबंदी मौजा मालीखेडा प0ह0 मोतीपुरा के खाता संख्या 3 में दर्ज आराजी संख्या 61, 62, 63, 64, 91 कीता– 5 कुल रकबा 2.2900 हैक्टर भूमि प0ह0मोतीपुरा के खाता संख्या 11 में दर्ज आराजी संख्या 477/437 में वादी माधुलाल पुत्र लाला का हिस्सा 1/8 अन्य प्रतिवादीगण के साथ दर्ज अंकित है। ,प्रदर्श–3 नकल जमाबंदी मौजा मोतीपुरा रकबा 1.6200 हैक्टर भूमि में वादी माधूलाल पुत्र लालू हिस्सा 1/5 का नाम अन्य प्रतिवादीगण के साथ दर्ज अंकित है। प्रदर्श–4 नकल जमाबंदी मौजा मोतीपुरा प0ह0 मोतीपुरा के खाता संख्या 12 में दर्ज आराजी संख्या 424, 425, 428, 429, 430 कीता–5 कुल रकबा 3.0200 हैक्टर भूमि के खातेदार उदा पुत्र देवी हिस्सा 1/4, उँकार पुत्र ागवानलाल हिस्सा 1/8, चुन्नीलाल पुत्र लालू हिस्सा 1/4, मोती पुत्र लालू हिस्सा 1/4 व सम्पतलाल पुत्र भगवानलाल हिस्सा 1/8 खातेदार दर्ज अंकित है, इस खाते में वादी का नाम अंकित नहीं है। वादी इस खाते मे अपना नाम अन्य प्रतिवादीगण के साथ घोषित करवाना चाहते है, वादी का कथन है कि यह आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक आराजी है, हालॉकि वादी द्वारा यह आराजी पैतृक होने का प्रमाण स्वरूप पुरानी जमाबंदी प्रस्तुत नहीं की है, किन्तु अन्य खातो में वादी का नाम इन प्रतिवादीगण के साथ दर्ज अंकित है तथा यह वादी की पैतृक आराजी है इसके लिए वादी द्वारा स्वयं की साक्ष्य एवं गवाह की साक्ष्य से यह सिद्ध किया है, साथ ही प्रतिवादीगण द्वारा भी वादी के वादपत्र के सम्बन्ध में कोई विरोध या अपना जबावदावा प्रस्तुत नहीं किया है। साथ ही प्रकरणमें भूमिधारी द्वारा भी कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया है।

इस प्रकार वादी की साक्ष्य सबूत के आधार पर वाद वर्णित कृषि आराजीयात जिसमें वादी का नाम अन्य प्रतिवादीगण के साथ वक्त विरासत से दर्ज किये जाने से रह गया है, उक्त खाते में वादी का नाम दर्ज किये जाने की घोषणा की जाकर वर्णित कृषि आराजीयात में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन कराया जाना हम उचित समझते है।

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 88–53–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। मौजा मोतीपुरा की आराजी संख्या 424, 425, 428, 429, 430 कीता–5 कुल रकबा 3.0200 हैक्टर भूमि में वादी माधूलाल पिता लालू जाति धाकड का नाम अन्य प्रतिवादीगण के साथ राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। बाद घोषणा वर्णित कृषि आराजी मौजा मोतीपुरा प0ह0 मोतीपुरा की आराजी संख्या 424, 425, 428, 429, 430 कीता–5 कुल रकबा 3.0200 हैक्टर भूमि में वादी का हिस्सा व अन्य प्रतिवादीगण का हिस्सा, एवं मौजा मालीखेडा प0ह0 मोतीपुरा की आराजी संख्या 61, 62, 63, 64, 91 कीता– 5 कुल रकबा 2.2900 हैक्टर भूमि में वादी का हिस्सा 1/8 व अन्य हिस्सा प्रतिवादीगण का दर्ज जमाबंदी अनुसार तथा मौजा मोतीपुरा की आराजी संख्या 477/437 रकबा 1.6200 हैक्टर भूमि में वादी माधूलाल पुत्र लालू का हिस्सा 1/5 व अन्य प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज जमाबंदी अनुसार रखते हुए वर्णित कृषि आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के आधार पर मीट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार बंटवारा किये जाने हेतु तहसीलदार बेगूँ को 2000/– रूपये कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तथा निर्देश किया जाता है कि वे वादी से कमिश्नर शुल्क राशि 2000/– रूपये प्राप्त कर उपरोक्त वर्णित कृषि आराजी का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य करते हुए विभाजन प्रस्ताव दो प्रति में मय नक्शाट्रेस के साथ इस न्यायालय को भिजवावें। स्थाई निषेधाज्ञा की दाद पर बाद विभाजन न्यायसंगत आदेश पारित किया जावेगा।

वादी का वादपत्र प्राथमिक डिक्री किया जाता है। प्राथमिक डिक्री प्रति तहसीलदार बेगूँ को पालनार्थ दी जावें।

निर्णय आज दिनांक 19.09.2024 को लिखया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

(आदेश 20 नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

वाद संख्या :–32 / 2021

माधुलाल पिता लालू जी जाति धाकड निवासी मालीखेडा तह0 बेगूँ
वादी

बनाम

1. उदा पिता देबीलाल धाकड निवासी मालीखेडा तह0 बेगूँ
2. सम्पत पिता भगवानलाल धाकड निवासी मालीखेडा तह0 बेगूँ
3. उकार पिता भगवानलाल धाकड निवासी मालीखेडा तह0 बेगूँ
4. मोतीलाल पिता लालू धाकड निवासी मालीखेडा तह0 बेगूँ
5. चुन्नीलाल पिता लालू धाकड निवासी मालीखेडा तह0 बेगूँ
6. श्रीमान शाखा प्रबंधक महादेय बैंक ऑफ बडोदा शाखा पारसोली
7. श्रीमान भूमिधारी जरिये तहसीलदार साहब बेगूँ
8. श्रीमान जरिये राज्य सरकार प्रतिनिधी जिला कलेक्टर महोदय जिला चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

निर्णय वाद अ0धा0 88–53–188 राज0 काश्त0 अधि0

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजसिंह चुण्डावत की उपस्थिती तथा प्रतिवादीगण की ओर से .....की अनुपस्थिती में इस वाद अ.धा. 88–53–188 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 19.09.2024 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूँ के समक्ष निपटारे हेतु उपस्थित होने से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–53–188 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है:–

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 88–53–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। मौजा मोतीपुरा की आराजी संख्या 424, 425, 428, 429, 430 कीता–5 कुल रकबा 3.0200 हैक्टर भूमि में वादी माधूलाल पिता लालू जाति धाकड का नाम अन्य प्रतिवादीगण के साथ राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। बाद घोषणा वर्णित कृषि आराजी मौजा मोतीपुरा प0ह0 मोतीपुरा की आराजी संख्या 424, 425, 428, 429, 430 कीता–5 कुल रकबा 3.0200 हैक्टर भूमि में वादी का हिस्सा व अन्य प्रतिवादीगण का हिस्सा, एवं मौजा मालीखेडा प0ह0 मोतीपुरा की आराजी संख्या 61, 62, 63, 64, 91 कीता– 5 कुल रकबा 2.2900 हैक्टर भूमि में वादी का हिस्सा 1/8 व अन्य हिस्सा प्रतिवादीगण का दर्ज जमाबंदी अनुसार तथा मौजा मोतीपुरा की आराजी संख्या 477/437 रकबा 1.6200 हैक्टर भूमि में वादी माधूलाल पुत्र लालू का हिस्सा 1/5 व अन्य प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज जमाबंदी अनुसार रखते हुए वर्णित कृषि आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के आधार पर मीट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार बंटवारा किये जाने हेतु तहसीलदार बेगूँ को 2000/– रूपये कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तथा निर्देश किया जाता है कि वे वादी से कमिश्नर शुल्क राशि 2000/– रूपये प्राप्त कर उपरोक्त वर्णित कृषि आराजी का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य करते हुए विभाजन प्रस्ताव दो प्रति में मय नक्शाट्रेस के साथ इस न्यायालय को भिजवावें। स्थाई निषेधाज्ञा की दाद पर बाद विभाजन न्यायसंगत आदेश पारित किया जावेगा।

यह प्राथमिक डिक्री आज दिनांक 19.09.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई ।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ
दिनांक :–

क्रमांक/सरिश्ता/2024/

प्राथमिक डिक्री की प्रति तहसीलदार, बेगूँ को वास्ते पालनार्थ दी जाकर निर्देशित किया जाता है आप विभाजन प्रस्ताव न्यायालय में आगामी तारीख पेशी 29.10.24 से पूर्व पेश करें।